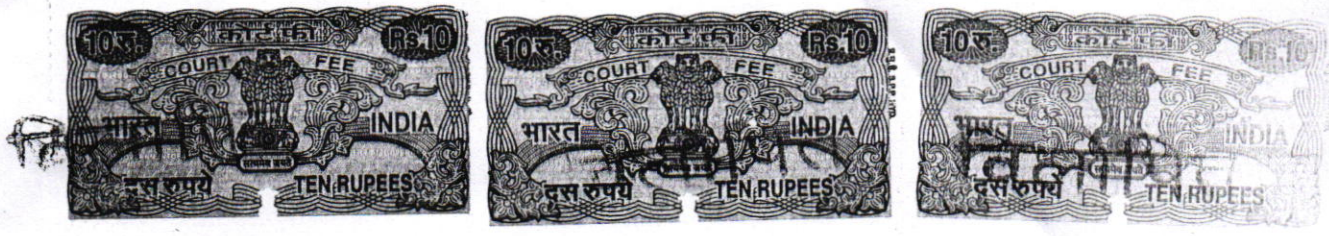

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ~~एक/निग/छतरपुर/भू.रा.~~/2017/ सतना

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/6250

गणेश प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री सुन्दर लाल पाण्डेय, निवासी ग्राम ताली सहपुरा, तहसील मजगांवा, जिला सतना म0प्र0

— आवेदक

श्री [illegible] द्वारा आज दि० 22-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. संतोष कुमार पाण्डेय,
2. राकेश कुमार पाण्डेय,
3. रमेश कुमार पाण्डेय,

पुत्रगण श्री बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय निवासीगण – ग्राम मजगंवा, नई बस्ती, तहसील न्यायालय के पास, मजगंवा, जिला सतना म0प्र0

— प्रतिअपीलार्थीगण

<u>निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत।</u>

23/12/17

श्रीमान जी,

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

II / निग0 / सतना / भू0रा0 / 2017 / 6250

गणेश प्रसाद विरूद्ध संतोष कुमार पाण्डे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –7–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मझगवां ने अपने प्रकरण कमांक 06/अ–6/14–15 में पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु दिनांक 15–10–15 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 01/पुनर्विलोकन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17–2–2016 के द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18–12–2017 के द्वारा अस्वीकार की गई। अपर कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 18–12–2017 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयत के आधार पर नामांतरण का प्रकरण है। पूर्व में मान0 उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में तहसीलदार मझगवां ने आदेश दिनांक 23–9–15 को कार्यवाही स्थगित कर दी थी। दिनांक 15–10–15 को पुनर्विलेकन अनुमति आवेदन में यह संज्ञान में लाये जाने	

पर कि इस नामांतरण प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार का स्थगन मान0 उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, के कारण तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–2–2016 के द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दस्तावेजों, व्यवहार न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन से यह पाया कि संबंधित सर्वे कमांक के मामलें में व्यवहार न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय से नामांतरण रोकने के कोई निर्देश नहीं है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पुनर्विलोकन अनुमति प्रदान की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर कलेटर ने अपने आदेश दिनांक 18–12–2017 से स्थिर रखा है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य